न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/175

मुकदमा नम्बर 64/2024 दर्ज दिनांक– 13.05.2024

कमल कंवर पत्नी श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत, निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री विनोद कुमार शेखावत

वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 13.06.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम जाखल की सरहद में स्थित कृषि भूमि 1900/28 रकबा 1.36 है0,ख.नं. 1901/28 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.41 है0 के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम धापू कंवर पत्नी उम्मेद सिंह के स्थान पर कमल कंवर पत्नी उम्मेद सिंह दर्ज किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ की ओर से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक 1928 दिनांक 31/05/2024 पेश हुई। जिसके अनुसार प्रार्थीया द्वारा अपने प्रा. पत्र में चाहा गया संशोधन किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित है!

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम जाखल की सरहद में स्थित कृषि भूमि 1900/28 रकबा 1.36 है0,ख.नं. 1901/28 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.41 है0 के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम धापू कंवर पत्नी उम्मेद सिंह के स्थान पर कमल कंवर पत्नी उम्मेद सिंह दर्ज व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 13.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner